



महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय

Mahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi Vishwavidyalaya

(संसद द्वारा पारित अधिनियम 1997, क्रमांक 3 के अंतर्गत स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालय)
(A Central University established by Parliament by Act No. 3 of 1997)



दूरभाष/Phone : +91-7152-230902

ई-मेल/E-mail: registrar@mgahv.in

क्रमांक : 006/Estt/A.T./71/2022/225

दिनांक : 01/02/2022

अधिसूचना

कार्य परिषद द्वारा दिनांक 07.01.2022 की सम्पन्न 72वीं बैठक में मद संख्या-12 के तहत लिये गये निर्णयानुसार विश्वविद्यालय के विद्यापीठों के अंतर्गत विभागों एवं केंद्रों में निम्नानुसार पुनर्गठन किया जाता है :

क्र.	विद्यापीठ का नाम	वर्तमान विभागीय व्यवस्था	कार्य-परिषद द्वारा स्वीकृत पुनर्व्यवस्था
1.	भाषा विद्यापीठ	1. भाषा विज्ञान एवं भाषा प्रौद्योगिकी विभाग 2. विदेशी भाषा एवं अंतरराष्ट्रीय अध्ययन केंद्र 3. भारतीय भाषा विभाग 4. सूचना एवं भाषा अभियांत्रिकी केंद्र	1. भाषाविज्ञान विभाग 2. भाषा प्रौद्योगिकी एवं भाषा अभियांत्रिकी विभाग 3. विदेशी भाषा अध्ययन विभाग 4. भारतीय भाषा अध्ययन विभाग
2.	साहित्य विद्यापीठ	1. हिंदी एवं तुलनात्मक साहित्य विभाग 2. संस्कृत विभाग 3. मराठी विभाग 4. नाट्यकला शास्त्र विभाग 5. सिनेमा अध्ययन विभाग	1. हिंदी विभाग 2. संस्कृत विभाग 3. मराठी विभाग 4. नाट्यकलाशास्त्र विभाग 5. सिनेमा अध्ययन विभाग
3.	अनुवाद एवं निर्वचन विद्यापीठ	1. अनुवाद अध्ययन विभाग 2. प्रवासन एवं डायस्पोरा अध्ययन विभाग	1. अनुवाद अध्ययन विभाग 2. तुलनात्मक साहित्य विभाग 3. प्रवासन एवं डायस्पोरा अध्ययन विभाग 4. अंतरराष्ट्रीय हिंदी शिक्षण विभाग

यह अधिसूचना सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरांत जारी की जाती है।

कादर खाज
(कादर नवाज खान)
कार्यकारी कुलसचिव
01/02/22

प्रतिलिपि :

1. सचिव, शिक्षा मंत्रालय, उच्चतर शिक्षा विभाग, शास्त्री भवन, नयी दिल्ली
2. सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, बहादुर शाह जफर मार्ग, नयी दिल्ली
3. कुलपति कार्यालय
4. प्रतिकुलपति (द्वय) कार्यालय
5. समस्त अधिष्ठाता, विभाग अध्यक्ष/प्रमुख, केंद्र निदेशक, क्षेत्रीय केंद्रों के अकादमिक निदेशक/प्रभारी
6. कुलसचिव कार्यालय
7. लीला, विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु
8. रक्षित पत्रावली।